छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा चतुर्थ सत्र अंक-06

रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 दिसंबर, 2019

(अग्रहायण 11, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से तारांकित प्रश्न संख्या 01 से 03, एवं 06 से 12 तक (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या क्रमश: 04, 05, के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: सर्वश्री देवव्रत सिंह, प्रकाश शक्राजीत नायक अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 57 तारांकित एवं 68 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 11 पर चर्चा के दौरान श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खण्ड (4) तथा अनुच्छेद 243-म के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के तृतीय राज्य वित्त

आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 एवं उस पर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन,

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-7/2004/12, दिनांक 16 अगस्त, 2019 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019,

(3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-7/2004/12, दिनांक 20 सितंबर, 2019,

(4) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम,2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरैक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत) विनियम, 2019,

(5) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2019-2020 के बजट की प्रथम तथा द्वितीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा,

(6) श्री टी.एस. सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र वर्ष 2018-2019 (दिनांक 01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2019 तक),

(7) श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 तथा 2017-2018,

(8) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2017-2018,

(9) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार :-

(i) संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा, अंबिकापुर का वार्षिक प्रतिवेदन 1 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2019,

(ii) हेमचंद यादव, विश्वविद्यालय, दुर्ग का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन (1 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2019)

(10) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 (1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019),

(11) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापन एवं संचालन)अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यलय (स्थापन एवं संचालन) नियम 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उप नियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018-2019 तथा

(12) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार जिला-बीजापुर के थाना बासागुड़ा के ग्राम सारकेगुड़ा और जिला-सुकमा के थाना जगरगुंडा के ग्राम सिलगेर एवं चिंमलीपेंटा में दिनांक 28-29 जून, 2012 की रात्रि सुरक्षा बलों की मुठभेड़ की घटना की जांच हेतु गठित न्यायिक जांच आयोग का जांच प्रतिवेदन,

पटल पर रखे।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

4. पृच्छा

डॉ. रमन सिंह एवं अन्य सदस्यों ने जिला-बीजापुर के थाना बासागुड़ा के ग्राम सारकेगुड़ा और जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा के ग्राम सिलगेर एवं चिंमलीपेंटा में सुरक्षा बलों की मुठभेड़

की घटना के जांच प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किये जाने के पूर्व सार्वजनिक हो जाने पर मुख्यमंत्री के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

आसंदी से उक्त सूचना विचाराधीन होने संबंधी जानकारी दी गई।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में 21 ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है । इनमें से क्रमश: प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे । उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा । लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(निरंतर व्यवधान होने से सदन की कार्यवाही 12.25 बजे स्थगित की जाकर 12.54 बजे समवेत हुई ।)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

6. पृच्छा

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल एवं प्रतिपक्ष दल के सदस्यों द्वारा प्रदेश में अवैध शराब का विक्रय एवं शराब दुकान के सेल्समेनों द्वारा मारपीट किये जाने के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

माननीय सभापति ने कथन किया आपकी सूचना को माननीय अध्यक्ष ने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है ।

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(1) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य (सूचना प्रस्तुत नहीं हुई ।)

(2) श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य ने तत्कालीन जिला प्रशासन रायपुर द्वारा बिना व्यवस्थापन किये खालसा विद्यालय स्थित दुकानों को तोड़े जाने के संबंध में नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यानाकर्षित किया ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भ गृह में आये ।)

8. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

श्री धरमलाल कौशिक, डॉ.रमन सिंह, सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री डमरूधर पुजारी, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू ।

कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जायें । मैं निलंबन की अवधि पश्चात् निर्धारित करूंगा ।

9. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(निलंबित सदस्य सभा भवन से बाहर गये)

(3) श्री गुलाब कमरो, सदस्य ने कोरिया जिले के विकासखंड भरतपुर एवं सोनहत में हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान न किये जाने की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यानाकर्षित किया ।

10. निलंबन अवधि की समाप्ति की घोषणा

माननीय सभापति ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

11. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

श्रीमती अनिला भेंडिया, समाज कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य ने बस्तर जिले की शालाओं में व्याप्त अव्यवस्था की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए :-

उप पद क्रमांक	**सदस्य**
5.	सर्वश्री रजनीश कुमार सिंह, धरमलाल कौशिक, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
6.	श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
8.	श्री धर्मजीत सिंह
9.	श्री सत्यनारायण शर्मा
10.	श्री नारायण चंदेल
12.	श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
14.	सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा
15.	सर्वश्री धर्मजीत सिंह, शिवरतन शर्मा
16.	सर्वश्री धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा
17.	श्री कुंवर सिंह निषाद
18.	श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर
20.	श्री बघेल लखेश्वर

21. सर्वश्री धर्मजीत सिंह, नारायण चंदेल

12. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर
(2) श्री नारायण चंदेल
(3) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
(4) श्री संतराम नेताम
(5) श्री लखेश्वर बघेल
(6) श्री रामपुकार सिंह
(7) श्री शिवरतन शर्मा
(8) डॉ. प्रीतम राम
(9) श्री रेखचन्द जैन
(10) श्री पुन्नूलाल मोहले
(11) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
(12) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी

13. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री संतराम नेताम
(2) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
(3) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
(4) श्री चक्रधर सिंह सिदार

14. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री अजय चन्द्राकर, सभापति लोक लेखा समिति, ने लोक लेखा समिति के चौसठवें प्रतिवेदन(द्वितीय विधान सभा) पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में दसवां प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) प्रस्तुत किया ।

15. उपाध्यक्ष का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सभा के उपाध्यक्ष पद हेतु प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 8 के उप नियम (2) तद्अनुरूप नियम 7 के उप नियम (2) के अन्तर्गत माननीय श्री मनोज सिंह मंडावी, सदस्य के लिये पृथक-पृथक प्रस्तावकों की ओर से नौ प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ।

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 7 के उप नियम (4) के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव एक-एक करके उसी क्रम में रखे जायेंगे जिस क्रम में वे प्रस्तुत किये गये हैं :-

1. श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि "श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय ।"
   श्री तामध्वज साहू, गृह मंत्री ने प्रस्ताव का समर्थन किया ।
2. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव किया कि "श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय ।"
   श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया ।
3. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि "श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय ।"
   श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया ।
4. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि "श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय ।"
5. श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने ने प्रस्ताव किया कि "श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय ।"
   डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव का समर्थन किया ।
6. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि "श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय ।"

श्री रामपुकार सिंह ठाकुर, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया ।

7. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि "श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय ।"

डॉ.लक्ष्मी ध्रुव, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया ।

8. श्री टी.एस. सिंहदेव,पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि"श्री मनोज सिंह मंडावी,जो इस विधान सभा के सदस्य हैं,को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।"

श्री आशीष कुमार छाबड़ा, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया ।

9. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि "श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय ।"

श्री नारायण चंदेल,सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को सर्वसम्मति से विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया ।

16. निर्वाचित उपाध्यक्ष को बधाई

अध्यक्ष महोदय द्वारा उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर सदन की ओर से बधाई दी और उद्गार व्यक्त किये ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष सर्वश्री अजय चन्द्राकर, केशव प्रसाद चन्द्रा, धर्मजीत सिंह, ने भी बधाई देते हुये उद्गार व्यक्त किये ।

17. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019)

श्री टी.एस. सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019) पर विचार किया जाये ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

18. उपाध्यक्ष महोदय का उद्‌बोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री धरमलाल कौशिक जी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ दल के नेता आदरणीय श्री धर्मजीत सिंह जी, बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय श्री केशव चन्द्रा जी एवं समस्त माननीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ की पंचम विधान सभा के विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित होने के इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं ।

आज का दिन मेरे सार्वजनिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और गौरवशाली दिन है । आप सभी ने इस गरिमामय पद पर जिस विश्वास के साथ सर्वसम्मति से मुझे पीठासीन किया है और मेरे प्रति जो आस्था प्रकट की है, उसके लिये मैं, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं । सभा की कार्यवाही के गरिमापूर्ण संचालन में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के सहयोगी के रूप में अपने कार्यों को सम्पादित करुंगा तथा आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि सदन की गरिमा तथा सम्मान को अक्षुण्य बनाये रखने का प्रयास करुंगा ।

19. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्री टी.एस.सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, संतराम नेताम, रामकुमार यादव, शिवरतन शर्मा, किस्मतलाल नंद

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 9 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री टी.एस.सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 24 सन् 2019)

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 24 सन् 2019) पर विचार किया जाये ।

प्रस्वाव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, श्री धर्मजीत सिंह, श्रीमती ममता चन्द्राकर, सर्वश्री केशव प्रसाद चन्द्रा, नारायण चंदेल

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 24 सन् 2019) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

(3) महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (क्रमांक 25 सन् 2019)

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (क्रमांक 25 सन् 2019) पर विचार किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्वाव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चन्द्राकर,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, केशव प्रसाद चन्द्रा, डॉ. विनय जायसवाल, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, राजमन बेंजाम, बृहस्पत सिंह,

20. बहिर्गमन

चर्चा के दौरान श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने माननीय सदस्य श्री बृहस्पत सिंह के कथन पर आपत्ति व्यक्त करते हुये सदन से बहिर्गमन किया ।

21. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 58 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (क्रमांक 25 सन् 2019) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

22. नियम 167(1) के अंतर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि -

(1) माननीय सदस्य, श्री अजय चन्द्राकर द्वारा माननीय श्री अमरजीत भगत, संस्कृति मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 25 नवंबर, 2019,

(2) माननीय सदस्य, श्री अजय चन्द्राकर द्वारा माननीय श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 25 नवंबर, 2019, तथा

(3) माननीय सदस्य, श्री शिवरतन शर्मा द्वारा माननीय श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 27 नवंबर, 2019 को,

विचारोपरांत मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है ।

23. नियम 239 अंतर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि -

(1) माननीय सदस्य, श्री धर्मजीत सिंह द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 28 नवंबर, 2019,

(2) माननीय सदस्यों, सर्वश्री अजय चन्द्राकर, डॉ. रमन सिंह एवं शिवरतन शर्मा द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 02 दिसंबर, 2019, तथा

(3) माननीय सदस्य, श्री शिवरतन शर्मा द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 02 दिसंबर, 2019,

मेरे समक्ष विचाराधीन है ।

24. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

पंचम विधान सभा का चतुर्थ सत्र 25 नवम्बर 2019 से 6 दिसम्बर 2019 के मध्य आहूत था । इस शीतकालीन सत्र अवधि में राज्य में स्थानीय निकाय के निर्वाचन की घोषणा पश्चात् उत्पन्न परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये सत्र की अवधि में सर्वसहमति से संशोधन का निर्णय लिया गया है और आज इस शीतकालीन सत्र का अंतिम दिवस है । इस सत्र के समापन अवसर पर मैं सर्वप्रथम सदन के नेता माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक जी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता श्री धर्मजीत सिंह जी एवं बहुजन पार्टी के नेता श्री केशव चन्द्रा जी तथा समस्त माननीय सदस्यों के प्रति इस सत्र के सुव्यवस्थित संचालन में सहभागिता और सहयोग के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ ।

इस शीतकालीन सत्र में राज्य के विकास से जुड़े प्रत्येक महत्वपूर्ण विषयों पर आप सभी ने व्यापक, विस्तृत और परिणाम मूलक चर्चा की है । आप सभी ने ज्वलंत विषयों पर इस सत्र में पर्याप्त चर्चा को मूर्त रूप दिया है । इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ ।

इस सत्र की उल्लेखनीय उपलब्धि यह भी है कि आप माननीय सदस्यों ने 26 नवम्बर को संविधान दिवस के अवसर पर संविधान पर केन्द्रित अपने विचारों को सदन में रखा, यह निश्चित ही इस परस्पर चर्चा से संविधान के विषय में हमारी जानकारी पहले से अधिक समृद्ध हुई है ।

इस शीतकालीन सत्र की अवधि में दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर सभी माननीय सदस्यगणों ने सदन की कार्यवाही को छत्तीसगढ़ी में चलाने में सहयोग दिया, इसके लिए मैं आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ ।

मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि राजनैतिक प्रतिबद्धताओं के चलते प्रतिक्रियाओं में भले ही पक्ष-प्रतिपक्ष के आप माननीय सदस्यों के मत में भले ही विभिन्नता हो, परंतु आप सभी की भावना छत्तीसगढ़ राज्य के विकास को समर्पित है । मेरा यह भी विश्वास है कि आप सभी ने अपनी राजनैतिक

इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से लोकहित और लोककल्याण को ज्यादा महत्व दिया है । आपकी इस भावना के लिए मैं आप सभी के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूँ ।

पंचम विधान सभा के इस सत्र में महत्वपूर्ण विधेयकों के पारण के साथ वित्तीय अनुपूरक बजट का महत्वपूर्ण कार्य संपादित हुआ ।

इस सत्र में उपाध्यक्ष के पद हेतु निर्वाचन हुआ जिसमें माननीय सदस्य श्री मनोज सिंह मंडावी उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए हैं । मैं उन्हें मेरी ओर से एवं इस सदन की ओर से बधाई देता हूँ एवं आशा करता हूँ कि उनका सदन के सुचारू संचालन में सहयोग प्राप्त होगा ।

अब मैं आपको इस शीतकालीन सत्र में सम्पादित हुए संसदीय कार्यों का संक्षेप में सांख्यिकी आंकड़ों से अवगत कराना चाहूंगा ।

इस सत्र की कुल 6 बैठकों में लगभग 30 घंटे 10 मिनट चर्चा हुई है। इस सत्र में तारांकित प्रश्नों की 788 एवं अतारांकित प्रश्नों की 684 इस प्रकार कुल 1472 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से 40 प्रश्नों पर सभा में अनुपूरक प्रश्न पूछे गये। ध्यानाकर्षण की कुल 260 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से 74 सूचनाएं ग्राह्य हुईं और 61 सूचनाएं शून्यकाल सूचना में परिवर्तित की गई। स्थगन की कुल 63 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें से एक विषय से संबंधित 16 सूचनाओं को ग्राह्य कर चर्चा कराई गई एवं एक विषय से संबंधित 14 सूचनाओं को सदन में पढ़ने एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् अग्राह्य किया गया। शून्यकाल की 85 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से 70 सूचनाएं ग्राह्य और 15 सूचनाएं अग्राह्य रही। माननीय सदस्यों द्वारा 96 याचिकायें प्रस्तुत की गई, जिनमें से 24 ग्राह्य रही।

इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 8 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुईं और सभी चर्चा उपरांत पारित हुए। वित्तीय कार्यों के अंतर्गत द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर लगभग 2 घंटे 50 मिनट की चर्चा हुई।

सत्रकाल में माननीय सदस्यों ने पुस्तकालय, संदर्भ एवं अनुसंधान सेवा का भी अपने संसदीय दायित्वों के निर्वहन में उपयोग किया तथा सभा के कार्य के संबंध में माननीय सदस्यों को पुस्तकालय से विभिन्न विषयों पर 65 साहित्य एवं संदर्भ सामग्री भी उपलब्ध कराई गई।

प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था छत्तीसगढ़ विधान सभा के कार्यकरण से सीधे तौर पर आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु आम नागरिकों को अवसर देती है। इस तारतम्य में विभिन्न शासकीय/अशासकीय संस्थाओं, जनप्रतिनिधि संस्थाओं के लगभग 4870 लोगों ने एवं 1430 छात्र-छात्राओं ने इस सत्र में सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया तथा 21400 लोगों ने विधान सभा की वेबसाईट का अवलोकन किया।

मैं इस अवसर पर उपाध्यक्ष सहित सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया। मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में संपादित कार्यवाही से अवगत कराया।

इस शीतकालीन सत्र समापन के अवसर पर राज्य शासन के नवनियुक्त मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं। सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था इस शीत सत्र के दौरान कायम रखी।

मैं विधान सभा के प्रमुख सचिव सहित सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया।

सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की तिथियों की घोषणा की परंपरा रही है तत्संबंध में यह अनुमान है कि पंचम विधानसभा का बजट सत्र फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में आहूत होने की संभावना है।

मैं आने वाले नये वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से यह सादर आह्वान करता हूं कि आईये, हम सब मिलकर अपने छत्तीसगढ़ राज्य को समग्र उन्नति के शीर्ष पर पहुंचाने का पुनीत संकल्प लें।

धन्यवाद। जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री धर्मजीत सिंह, केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य ने भी उद्‌गार व्यक्त किये ।

25. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान "जन-गण-मन" की धुन बजाई गई।)

सायं 05.10 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा